सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 56/14

जनक पुत्र श्री हंसराज जाति खत्री निवासी 18 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. सरपंच,ग्राम पंचायत 18 एम0एल0 हिरणावाली, श्रीगंगानगर।
2. वरेन्द्रकुमार पुत्र श्री सुभाष जाति खत्री निवासी 18 एम0एल0 हिरणावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

गैर निगरानीकर्त्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश सरपंच ग्राम पंचायत 18 एम0एल0 हिरणावाली दिनांक 20–09–2016

उपस्थित :
श्री प्रेमप्रकाश मक्कड़, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
श्री राजेश गुम्बर, अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्ता सं0 2

आदेश दिनांक : 04–07–2017

प्रस्तुत निगरानी प्रकरण का संक्षिप्त में सार इस प्रकार हैं कि रजिस्टर्ड गोदनामा का घोषणात्मक वाद जिला न्यायालय, श्री गंगानगर में विचाराधीन है। जिला न्यायालय, श्री गंगानगर में प्रस्तुत वाद में दर्शना, जीवा, सुभाष व वरेन्द्र की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। वरेन्द्र के गोदनामा का अंतिम निर्णय जिला न्यायालय द्वारा किया जाना था। इसके बावजूद निगरानीकृत प्रस्ताव सं0 2 द्वारा विरेन्द्र को अनावेदक सं0 1 द्वारा बंशी लाल का दत्तक पुत्र मानते हुए निगरानीकृत आदेश पारित कर दिया। निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 23–8–16 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था कि बंशीलाल का वारिसनामा बनाया जावे। सरपंच द्वारा यह उल्लेखित किया गया था कि परिवार का आपसी विवाद है इसलिए वारिसनामा नहीं बनाया जावे। इसके बावजूद भी निगरानीकृत प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत प्रस्ताव सं0 2 निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी से संबंधित ग्राम पंचायत का रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि गोदनामा रजिस्टर्ड है, जो विरेन्द्र के पक्ष में है। ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव सं0 2 पारित कर नामान्तरणकरण दर्ज किया है जबकि जिला न्यायालय में गोदनामा का घोषणात्मक वाद लंबित था। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत प्रस्ताव सं0 2 दिनांक 20–09–16 निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं0 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि जब तक

जनक पुत्र श्री हंसराज जाति खत्री निवासी 18 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. सरपंच,ग्राम पंचायत 18 एम0एल0 हिरणावाली, श्रीगंगानगर।
2. वरेन्द्रकुमार पुत्र श्री सुभाष जाति खत्री निवासी 18 एम0एल0 हिरणावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

गैर निगरानीकर्त्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश सरपंच ग्राम पंचायत 18 एम0एल0 हिरणावाली दिनांक 20–09–2016

उपस्थित :
श्री प्रेमप्रकाश मक्कड़, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
श्री राजेश गुम्बर, अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्ता सं0 2

आदेश दिनांक : 04–07–2017

प्रस्तुत निगरानी प्रकरण का संक्षिप्त में सार इस प्रकार हैं कि रजिस्टर्ड गोदनामा का घोषणात्मक वाद जिला न्यायालय, श्री गंगानगर में विचाराधीन है। जिला न्यायालय, श्री गंगानगर में प्रस्तुत वाद में दर्शना, जीवा, सुभाष व वरेन्द्र की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। वरेन्द्र के गोदनामा का अंतिम निर्णय जिला न्यायालय द्वारा किया जाना था। इसके बावजूद निगरानीकृत प्रस्ताव सं0 2 द्वारा विरेन्द्र को अनावेदक सं0 1 द्वारा बंशी लाल का दत्तक पुत्र मानते हुए निगरानीकृत आदेश पारित कर दिया। निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 23–8–16 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था कि बंशीलाल का वारिसनामा बनाया जावे। सरपंच द्वारा यह उल्लेखित किया गया था कि परिवार का आपसी विवाद है इसलिए वारिसनामा नहीं बनाया जावे। इसके बावजूद भी निगरानीकृत प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत प्रस्ताव सं0 2 निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी से संबंधित ग्राम पंचायत का रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि गोदनामा रजिस्टर्ड है, जो विरेन्द्र के पक्ष में है। ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव सं0 2 पारित कर नामान्तरणकरण दर्ज किया है जबकि जिला न्यायालय में गोदनामा का घोषणात्मक वाद लंबित था। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत प्रस्ताव सं0 2 दिनांक 20–09–16 निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं0 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि जब तक रजिस्टर्ड गोदनामा सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता है तब तक रजिस्टर्ड गोदनामा प्रभावी रहेगा। ग्राम पंचायत का आदेश यथोचित है तथा जिला न्यायालय, श्री गंगानगर में गोदनामा के संबंध में घोषणात्मक वाद विचाराधीन है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज होने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

गोदनामा रजिस्टर्ड है, इस तथ्य को उभय पक्ष स्वीकार करते हैं। माननीय जिला न्यायालय में गोदनामा के संबंध में घोषणात्मक वाद विचाराधीन है, इस तथ्य को भी दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं। जब तक माननीय न्यायालय द्वारा गोदनामा के संबंध में अंतिम निर्णय पारित नहीं हो जाता तब तक रजिस्टर्ड गोदनामा प्रभावी है।

ग्राम पंचायत 18 एम0एल0 द्वारा प्रस्ताव सं0 2 दिनांक 20–09–16 को पारित किया गया है, जिसके अनुसार " आज की बैठक में वार्ड पंच वार्ड सं0 4 मनजीतकौर ने प्रस्ताव रखा कि विरेन्द्रकुमार दत्तक पुत्र श्री बंशी लाल जाति खत्री निवासी वार्ड सं0 4, 18 एम0एल0 हिरणावाली के शपथ पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर बंशी लाल पुत्र श्री अमीचन्द जाति खत्री निवासी 18 एम0एल0 हिरणावाली का स्वर्गवास दिनांक 20–07–2016 को हो चुका है तथा स्वर्गवास पश्चात् मृतक बंशीलाल पुत्र अमीचन्द के जायज वारिस क्रमशः 1– दर्शना पत्नी बंशी लाल–68 वर्ष – पत्नी – जीवारानी पुत्री बंशी लाल – 22 वर्ष – पुत्री। उक्त दो जायज वारिस के अलावा विरेन्द्रकुमार दत्तक पुत्र बंशी लाल द्वारा बैठक में रजिस्टर्ड गोदनामा पेश किया जो उप पंजीयक, श्री गंगानगर द्वारा दिनांक 26–05–11 को रजिस्टर्ड किया गया है, के आधार पर बंशी लाल पुत्र अमीचन्द ने विरेन्द्रकुमार को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया है। अतः उक्त गोदनामे के आधार पर विरेन्द्रकुमार पुत्र बंशी लाल भी बंशी लाल का कानूनन वारिस (दत्तक पुत्र के रूप में)है।अतः बंशी लाल पुत्र अमीचन्द के जायज व कानूनन वारिसान क्रमशः 1– दर्शना पत्नी 68 वर्ष 2– जीवारानी पुत्री 22वर्ष एवं 3– विरेन्द्रकुमार दत्तक पुत्र 24 वर्ष। उपरोक्त तीन जायज व कानूनन वारिस के अलावा मृतक बंशी लाल पुत्र अमीचन्द का अन्य कोई वारिस नहीं है व उक्त वारिस प्रमाण पत्र विरेन्द्रकुमार दत्तक पुत्र बंशी लाल के शपथ पत्र व गोदनामे के आधार पर जारी किया जावे। ग्राम पंचायत द्वारा बाद विचार विमर्श निर्णय लिया गया कि उक्त वारिसनामा मृत्यु प्रमाण पत्र, विरेन्द्रकुमार दत्तक पुत्र बंशी लाल के शपथ पत्र व बैठक में प्रस्तुत गोदनामे के आधार पर व संबंधित वार्ड पंच के प्रस्ताव के आधार पर जारी किये जाने का निर्णय लिया गया एवं सर्वसम्मति से प्रस्ताव मंजूर किया गया"।

इस प्रकार, ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन प्रस्ताव सं0 2 दिनांक 20–9–16 रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 26–05–11 के आधार पर पारित किया गया है। कानून रजिस्टर्ड गोदनामे के आधार पर मृतक बंसीलाल की पत्नी, पुत्र तथा दत्तक पुत्र को शामिल करते हुए वारिसनामा (क्रमांक 18एमएल/2016–17 /एसपीएल–1 दिनांक 20.09.2016) जारी करने का सर्वसम्मति से जो निर्णय प्रस्ताव संख्या 02 बैठक दिनांक 20.09.2016 में लिया गया है वह पूर्णतया वैद्य है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई जाती है। लिहाजा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है। रजिस्टर्ड गोदनामा के संबंध में घोषणात्मक वाद माननीय जिला न्यायालय में विचाराधीन होना जाहिर किया गया है, परन्तु ऐसा कोई अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध नही है। अतः ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता की निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड ग्राम पंचायत को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 4–7–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/7/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर